विचार बिन्दु

खुद के लिये जीने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देता पर जब आप दूसरों के लिये जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिये जीते हैं। –श्री परमहंस योगानंद

डिजिटल भारत या डिजिटल विभाजन की नई दीवार?

हमारे सामने एक नया भारत उभर रहा है। बहुत कुछ बदल रहा है। कुछ बदलाव हम महसूस करते हैं, कुछ बदलाव हमें बताए और महसूस कराए जाते हैं। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। जब कोई काम किया जाता है तो करने वाला उसका प्रचार भी करता है, उसके लिए श्रेय भी लेता है। यह मानव स्वभाव है। इधर हमें जो बड़े बदलाव बताए जाते हैं, और जिन्हें हम ख़ुद महसूस भी करते हैं उनमें एक बड़ा बदलाव यह है कि अपना देश अब 'डिजिटल' हो गया है। 'डिजिटल इंडिया' की खूब चर्चा होती है, और हमारे सामने उपलब्धियों की एक लंबी सूची उभर आती है। हम ख़ुद देखते हैं और अगर न भी देखें तो हमें दिखाया जाता है कि अब चाय वाले से लेकर चाट वाले तक, यहां तक कि भिखारी भी, क्यूआर कोड से भुगतान ले रहे हैं; बैंक जेब में समा गया है; रेलवे टिकट, बिजली का बिल, टैक्स भुगतान, अस्पताल का पंजीकरण-सब कुछ मोबाइल की स्क्रीन पर बस एक क्लिक की दूरी पर उपलब्ध है। यह सब यथार्थ है और निस्संदेह उल्लेखनीय और सराहनीय भी है। ख़ुद मैं महसूस करता हूं कि डिजिटलीकरण ने मेरा जीवन बहुत आसान कर दिया है। निस्संदेह यह आज के भारत की सफलता की एक चमकीली कथा है। लेकिन हर सफलता की कहानी का एक ऐसा अध्याय भी होता है जो उत्सवधर्मिता के शोर में दब जाता है। डिजिटल भारत की कहानी में वह अध्याय बुजुर्ग नागरिकों का है।

तकनीक का उद्देश्य मनुष्य का जीवन आसान बनाना था। जो उसे बरतने में सक्षम थे, उनका जीवन उसने सुगम बनाया भी है। लेकिन अति उत्साह में हमारे यहाँ धीरे-धीरे सुविधा और अनिवार्यता का अंतर मिटता जा रहा है। आप बैंक जाइए तो कर्मचारी मुस्कुराकर सलाह देता है-"सर, यह काम ऐप से हो जाएगा।" रेलवे की खिड़की पर जाइए तो बताया जाता है कि ऑनलाइन टिकट लेना अधिक सुविधाजनक है। किसी अस्पताल में अपॉइंटमेंट चाहिए तो वेबसाइट या ऐप का रास्ता दिखा दिया जाता है। मानो यह मान लिया गया है कि देश का हर नागरिक स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल प्रक्रियाओं का उतना ही अभ्यस्त है जितना उसे बनाने और सहजता से बरतने वाली पीढ़ी है।

यहीं से समस्या शुरू होती है।

भारत में करोड़ों ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा उस दुनिया में बिताया है जहाँ दस्तख़त पहचान का प्रमाण थे, पासबुक बैंकिंग का आधार थी और किसी भी काम के लिए एक जीवित मनुष्य से बात करना संभव था। अब उन्हें एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने के लिए बाध्य किया जा रहा हैं जहाँ पहचान ओटीपी से होती है, भरोसा पासवर्ड पर टिका है और सहायता का पहला स्त्रोत कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चैटबॉट होता है। सारा कारोबार एक दबाओ, दो दबाओ से आगे बढ़ता है।

वृद्धावस्था स्वयं में कोई समस्या नहीं है। यह तो एक स्वाभाविक परिणति है। जो जन्म लेता है वह वृद्ध भी होता ही है। समस्या तब पैदा होती है जब समाज अपनी व्यवस्थाएँ इस तरह निर्मित करने लगता है कि उम्र एक प्रकार की अक्षमता में बदल जाती है। आज अनेक बुजुर्गों के लिए मोबाइल फोन केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि परीक्षा काएक डराने वाला प्रश्न-पत्र बन गया है। हर कुछ दिनों में नया अपडेट, नया इंटरफेस, नई सुरक्षा प्रक्रिया और नया सत्यापन। जिस व्यक्ति ने जीवन भर कठिन प्रशासनिक और सामाजिक जिम्मेदारियाँ निभाई हों, वह भी एक छोटे-से संदेश-पासवर्ड इनकरेक्ट' के सामने असहाय महसूस कर सकता है। और दुख की बात यह कि उसकी इस व्यथा को कोई समझना भी नहीं चाहता।

डिजिटल क्रांति ने एक और विडंबना पैदा की है। पहले नागरिक सरकारी दफ्तरों की कतारों में परेशान होते थे। अब कतारें कम हो गई हैं, लेकिन उनकी जगह ओटीपी, कैप्चा, यूज़र आईडी और पासवर्ड ने ले ली है। तकनीक को धड़ल्ले से बरतने वाला मैं भी बहुत दफा कैप्चा के आगे पराजित हो जाता हूं। पहले खिड़की के उस पार बैठा बाबू कभी-कभी झुँझला कर कुछ कह देता था; अब उसकी जगह एक निर्जीव स्क्रीन ने ले ली है, जो गलती होने पर केवल इतना कहती है-'एरर, ट्राय अगेन।'।

तकनीक विशेषज्ञ अक्सर यह मान लेते हैं कि जो चीज़ उन्हें सहज लगती है, वह सभी को सहज लगेगी। लेकिन तकनीक का सबसे बड़ा भ्रम यही है। एक युवा के लिए जो प्रक्रिया तीस सेकंड में पूरी हो जाती है, वही किसी बुजुर्ग के लिए तनाव, भय, असुरक्षा, आतंक, असहायता, दयनीयता और निर्भरता का कारण बन सकती है। समस्या केवल तकनीकी नहीं है; भाषा की भी है। सोच कर देखें कि 'ऑथेन्टिकेट', वेरीफाई', 'रीसेट', 'अपडेट', 'प्रोसीड' और 'सबमिट' जैसे शब्द उन लोगों के लिए कितने आत्मीय हैं जिनकी शिक्षा और जीवनानुभव किसी दूसरी भाषायी दुनिया में विकसित हुए हैं? भारत में तकनीक सामान्यत: अंग्रेज़ी केंद्रित है और जिस पीढ़ी की मैं चिंता कर रहा हूं, उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी से इतर किसी भाषा में अपना काम करता रहा है। अब उम्र के इस मुकाम पर आकर उनके लिए एक नई भाषा सीखना, और उसमें तकनीक को बरतना कितना मुश्क़िल होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे दुखद पक्ष आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। एक समय था जब परिवार के निर्णयों का केंद्र घर के बुजुर्ग हुआ करते थे। आज कई बार उन्हें अपने ही बैंक खाते का विवरण देखने, बिजली का बिल भरने या रेल टिकट बुक करने के लिए बेटे, बेटी, पोते-पोती या पड़ोसी की सहायता लेनी पड़ती है। सहायता माँगना बुरा नहीं है; लेकिन हर छोटे-बड़े काम के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाना मनुष्य के आत्मविश्वास का धीरे-धीरे क्षरण करता है।

डिजिटल क्रांति ने एक और विडंबना पैदा की है। पहले नागरिक सरकारी दफ्तरों की कतारों में परेशान होते थे। अब कतारें कम हो गई हैं, लेकिन उनकी जगह ओटीपी, कैप्चा, यूज़र आईडी और पासवर्ड ने ले ली है। तकनीक को धड़ल्ले से बरतने वाला मैं भी बहुत दफा कैप्चा के आगे पराजित हो जाता हूं। पहले खिड़की के उस पार बैठा बाबू कभी-कभी झुँझला कर कुछ कह देता था; अब उसकी जगह एक निर्जीव स्क्रीन ने ले ली है, जो गलती होने पर केवल इतना कहती है-'एरर, ट्राय अगेन।'। यहां संवाद की और मदद मांगने की सारी संभावनाएं ही ख़त्म हैं! और यह तो केवल असुविधा का पक्ष है। उससे भी गंभीर पक्ष सुरक्षा का है। साइबर अपराधियों ने शीघ्र ही समझ लिया है कि डिजिटल दुनिया में सबसे आसान शिकार कौन है। केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर फोन, बैंक अधिकारी बनकर की जाने वाली ठगी, नकली लिंक, फर्जी ऐप और ओटीपी धोखाधड़ी-इन सबका सबसे बड़ा निशाना वरिष्ठ नागरिक ही बनते हैं। एक तरफ व्यवस्था उन्हें डिजिटल बनने के लिए प्रेरित करती है, दूसरी तरफ वही डिजिटल संसार उन्हें अनेक नए प्रकार के जोखिमों के सामने खड़ा कर देता है।

विडंबना यह है कि जिस देश में 'सबका साथ, सबका विकास' और 'समावेशी विकास' की बातें होती हैं, वहीं डिजिटल समावेशन पर अपेक्षित गंभीरता से चर्चा ही नहीं होती है। किसी सेवा को ऑनलाइन उपलब्ध करा देना और उसे सबके लिए सुलभ बना देना दो अलग-अलग बातें हैं। यदि किसी नागरिक को किसी आवश्यक सेवा का लाभ उठाने के लिए स्मार्टफोन, इंटरनेट, अंग्रेज़ी की समझ और तकनीकी दक्षता अनिवार्य रूप से चाहिए, और इसका कोई विकल्प उपलब्ध न हो, तो हमें यह पूछना चाहिए कि क्या वह व्यवस्था वास्तव में समावेशी है? लेकिन इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाल जाना चाहिए कि मैं तकनीक का विरोधी हूं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि रेलगाड़ी से उतरकर बैलगाड़ी पर लौट जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रश्न तकनीक के उपयोग का नहीं, उसकी मानवीयता का है। क्या बैंक शाखाओं में वरिष्ठ नागरिक सहायता डेस्क नहीं हो सकती? क्या आवश्यक सेवाओं के लिए ऑफलाइन विकल्प सुरक्षित नहीं रखे जा सकते? क्या ऐप और वेबसाइटों को अधिक सरल, अधिक सहज भारतीय भाषाओं में और अधिक वरिष्ठ-अनुकूल नहीं बनाया जा सकता? क्या डिजिटल साक्षरता अभियान बुजुर्गों के लिए भी नहीं चलाए जाने चाहिए?

किसी भी समाज की प्रगति का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जाता कि वह कितना तेज़ दौड़ रहा है। उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है जो किसी कारणवश उतनी तेज़ी से नहीं दौड़ सकते हैं। डिजिटल भारत का स्वप्न निश्चय ही स्वागत योग्य है। किंतु यदि उस स्वप्न के रास्ते में हमारे वरिष्ठ नागरिक स्वयं को असहाय, उपेक्षित और अप्रासंगिक महसूस करने लगें, तो यह गम्भीर आत्ममंथन का विषय है। तकनीक तब तक सभ्यता की सहयोगी है जब तक वह मनुष्य को सशक्त बनाती है। जिस दिन वह मनुष्य को उसकी ही व्यवस्था में पराया महसूस कराने लगे, उस दिन हमें रुककर यह पूछना चाहिए कि हम डिजिटल भारत बना रहे हैं या अनजाने में डिजिटल विभाजन की एक नई दीवार खड़ी कर रहे हैं!

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

बढ़ती उम्र और घटती संवेदनात्मक प्रतिवर्ती क्रियाएं

वीर बहादुर सिंह

यह लेख मूलत: शरीर विज्ञान एवं मनोविज्ञान की परिधि में आता है। लेखक ने यह विवरण एक वरिष्ठ जनों की यू 3 ए की उदयपुर सभा में अंग्रेजी में शीर्षक "डिमिनिशिंग रेफ्लेक्सेस विद एडवांसिंग एज" से दिया था। अतिरिक्त इसके, कुछ समय पूर्व जैन संतशिरोमणि आचार्य महाप्रज्ञ जी को भी उनके उदयपुर प्रवास के अवसर पर एक अन्य लेख के साथ इसे दिया था। उन दो लेखों में से आचार्य जी ने एक उस समय प्रकाशित एक स्मारिका में अंग्रेजी में छपवा दिया था। लेखक ने आचार्य जी से पांच बार भेंट कर कई शरीर सम्बन्धी आयामों पर वैज्ञानिक सार्थक चर्चा की थी जिनके बारे में उन्होंने अपने कतिपय तब भिन्न भिन्न प्रवचनों में मेरा नाम लेकर उल्लेख भी किया था। पाठकों को यहाँ बता दूँ कि आचार्य महाप्रज्ञ जी उच्च कोटि के संत तो निसंदेह थे ही, उनकी शरीर विज्ञान और नलिकाविहीन अंत:स्त्रावी ग्रंथिओं और उनसे स्त्रावित होर्मोन्स की जानकारी पर अच्छी पकड़ थी। उनकी शैक्षणिक योग्यता जानने की तो लेखक की कभी हिम्मत नहीं हुई। बहराल यह लेख चूँकि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, सोचा क्यों न अब इसे हिंदी भाषा में परिवर्तित कर अधिक लोगों की जानकारी के लिए अखवार में छपवा दूँ।

संवेदनात्मक प्रतिवर्ती कियाएं क्या होती हैं पाठक यह जान लें। आपके पैर में काँटा लगा अथवा कोई कंकड़, काँटा या अन्य कुछ चलते समय चुभा तो बिना क्षण गवाए आपका पैर तुरंत ही संज्ञान लेकर कुछ उपाय करता है, टांग में मक्छर आदि के काटने पर आपका हाथ तुरंत ही उस स्थान पर हल्का सा थप्पड़ मार देता है इसी प्रकार कहीं सुई, ऑलपिन या कोई अन्य नुकीली वस्तु चुभने पर आपकी प्रतिक्रिया त्वरित होती है। आँख में कुछ गिरने पर पलक स्वत: आँख बंद कर देते हैं और आप मलनें लगते हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर जो प्रतिक्रिया तुरंत देता है वही सब रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रियाऐं कहलाती हैं।

शरीर जब प्रतिवर्ती क्रिया देने में विलम्ब करने लगे तो आदमी समझने लगता है कि अब बुढ़ापा आने लगा है और ऐसी ही भिन्न भिन्न दशाओं के प्रकट होते आदमी बुढ़ापे और उसके दंश से डरने लगता है। क्योंकि बाल्या वस्था और जवानी में तो ऐसा कुछ होता नहीं था। इस तरह का भाव यदि किसी में घर कर जाय और उसका समुचित निदान न किया जाय तो परिणीति असक्षमता, नर्वस डिसऑर्डर, काम करने की लगन में कमी और फिर सकारात्मक मनोवृति में ह्रास के साथ जटिल डेमेंश्या, डिप्रेशन और अल्ज़ीमर रोग बन जाते हैं। इन सबसे बचने के लिए उचित व्यवस्था और समुचित उपाय करना वांछनीय है।

इस तरह का बदलाव चूँकि बहुत धीमी गति से होता है। फिर भी पोषण में कमी, किसी अन्य वेस्टिंग बीमारी (मांस पेशिओं में क्षरण) का होना और मानसिक दवाब ऐसी दशाओं को और गति दे देती हैं। वैसे तो बुढ़ाना शरीर की एक सामान्य क्रिया है फिर भी चूँकि इसका अंत मृत्यु पर होता है जो अवश्यम्भावी है मनुष्य डरता है। जन्म के समय ही मृत्यु की घडी भी चल पड़ती है। जन्म और मृत्यु की अवधि काल में व्यक्ति अधिक से अधिक सकारात्मक सोच के साथ अच्छे व् सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहे तो उसे शारीरिक व्याधियां कम व्याप्ति हैं और बुढ़ाना भी धीमी गति से घटित होता है। साथ ही प्रतिवर्ती क्रियाओं के बढ़ने की गति बहुत धीमी या नगण्य ही रहती है।

बुढ़ानें की समस्या के चार पहलू हैं:-1. दैहिकी आधारित या जैविक 2. मनोवृति परक 3. सामाजिकमूलक और 4. सांस्कृतिक।

वैज्ञानिक बुढ़ाने को केवल एक शुद्ध दैहिकी क्रिया मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार अनेक मानसिक, मनोवृत्तिमूलक क्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं। लेकिन साथ ही कुछ अंतस्त्रावी ग्रंथिओं के स्त्राव-होर्मोनस, किण्वक और न्यूरॉन्स की कम सघनता और सक्रियता से मस्कुलो नर्वस क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि बुढ़ानें की प्रवर्ति में पूर्वाग्रह और अनभिग्यता दोनों ही मिथक वैज्ञानिक ज्ञान की प्रधानता को साधारणत: अशक्त कर देते हैं। अब संक्षेप में वे कारक जो बुढ़ापे में कठिनाइयां बढ़ाते हैं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में ह्रास करते हैं, वे हैं - अकेलापन और सामजिक पृथक्करण, गरीबी के साथ-साथ अन्य किसी वित्तीय स्त्रोत का भी न होना, शारीरिक अक्षमता, हाइजीन और सफाई की कमी, कार्य संलग्नता में कमी और सबसे मुख्य मानसिक तनाव मुख्य कारक हैं। इसलिए वरिष्ठजनों को समय रहते स्वयं किसी परोपकारी कार्य से जुड़जाना चाहिए।

धार्मिक आयोजनों में सक्रीय भाग लेने से भी सकारात्मकता बढ़ती है और तनाव में कमी आती है। अकेले होने पर पेड़-पौधे लगाने में रूचि रखने से भी तनाव तो कम होता ही है कुछ शारीरिक श्रम होने से सक्रियता भी बनी रहती है। आखिर में लेख को विराम देते हुए यह मन में बिठा लीजिये कि प्रतिवर्ती क्रियाएं मष्तिष्क में उपजती हैं इसलिए उनका प्रतिकारक वहीं पर पैदा होना जरुरी है। इसके लिए दोनों शारीरिक कार्य और मष्तिष्क कार्य सम्पादित करते रहना आवश्यक है।

ध्यान, प्रेक्षा ध्यान और ऑटो सजैशन कि मैं ठीक हूँ या मेरी व्याधि कम हो रही है शारीरिक व्यधिओं को शीघ्र ही भर देते हैं। क्योंकि ऐसी क्रियाओं से पिटुइटरी, पीनियल, थाइरोइड पारा थाइरोइड की सक्रियता में संतुलन बना रहता है जिससे सभी चयापचय क्रियाएं और प्रतिरोधी क्रियाओं का लाभ शरीर को मिलता रहता है। अपने से कम आयु और तरुण युवा लोगों की संगत से भी मन एकाग्र होता है। ऊतकों की मरम्मत के लिए पौष्टिक आहार लेते रहना जरुरी होता है जिसमें हरे साग-सब्जी और रंगीन फलों का भी यदा कदा भक्षण बहुत लाभ करता है। अंत में वे सभी उपाय करने चाहिए जिनसे व्यस्तता और स्वास्थ्य ठीक बना रहे और तनाव कम से कम रहे अथवा बिलकुल नहीं रहे। उन सभी कार्यों में संलग्नता हो जिनसे मन और मस्तिष्क दोनों ही संतुष्टि की सीमा में रहें और शरीर की सभी मुख्य ग्रंथियां सक्रीय रहकर अपने स्त्रावों से शरीर को लाभ पहुंचाती रहें।

–प्रो. वीर बहादुर सिंह,
पूर्व कुलपति एवं खाद्य विज्ञ,
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि., उदयपुर।

सनातन धर्म पर हेट स्पीच का इतिहास

सूर्य प्रताप सिंह राजावत

भारत में सनातन धर्म पर हमला एक आम बात बन गई है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ बहुसंख्यक धर्म की आलोचना इस हद तक की जाती है कि बोले गए शब्द हेट स्पीच (घृणास्पद भाषण) के मूल तत्वों को पूरा करते हैं। हेट स्पीच में ऐसा भाषण शामिल होता है जिससे किसी विशेष समुदाय की आस्थाओं, रीति-रिवाजों, पूजा-पद्धतियों आदि का अनादर, शत्रुता या अपमान होता है। इस विषय के लिए देश के उन कानूनों को समझना ज़रूरी है जो भारत में हेट स्पीच से निपटते हैं। यह CrPC की धारा 153(ए), 153(बी), 295(ए), 298, 505(1) का संदर्भ देता है; और अब भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 196, 197, 299, 302, 353 के अंतर्गत आता है। ये धाराएँ उन स्थितियों या आचरण से निपटती हैं जिनमें भारत में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने और हिंसा भड़काने की क्षमता होती है। यदि इसी तरह के शब्द गैर-बहुसंख्यक समुदायों के खिलाफ बोले जाते, तो उसका परिणाम क्या होता, यह सभी को भली-भांति पता है।

चिंता का विषय यह है कि तमिलनाडु के मंत्री उदायानिधि स्टालिन का हेट स्पीच के मामले में दुराचरण का एक इतिहास रहा है; यहाँ तक कि मद्रास उच्च न्यायालय को भी इस मंत्री के वर्ष 2023 के हेट स्पीच के मामले से निपटना पड़ा था। उदयनिधि स्टालिन ने 2023 में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था, "कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छरों, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें पूरी तरह से खत्म करना होता है। ठीक इसी तरह, हमें सनातन (सनातन धर्म) का विरोध करने के बजाय, उसे पूरी तरह से मिटा देना चाहिए।"

हेट स्पीच (द्वेषपूर्ण भाषण) शब्द की बारीकियों को समझने के लिए यह फ़ैसला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाई कोर्ट ने अश्विनी उपाध्याय मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का ज़िक्र किया, जिसमें राज्य के अधिकारियों पर यह ज़िम्मेदारी डाली गई है कि वे हेट स्पीच फैलाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी से (suo motu) आपराधिक कार्रवाई शुरू करें। हाई कोर्ट ने अपनी सख़्त टिप्पणियों को इन निर्देशों के साथ समाप्त किया कि जो लोग हेट स्पीच के लिए ज़िम्मेदार हैं, वे आज़ादी से घूम रहे हैं, जबकि जो लोग इसका जवाब दे रहे हैं, उन्हें आपराधिक कार्रवाई के ज़रिए परेशान किया जा रहा है। यह तमिलनाडु राज्य में क़ानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा अपने फ़र्ज़ से मुँह मोड़ने का मामला है।

सनातन धर्म के ख़िलाफ़ हेट स्पीच का एक लंबा इतिहास रहा है, जो विलियम आर्चर को दिए गए एक करारे जवाब की याद दिलाता है; आर्चर ने इंडिया एंड फ़्यूचर नाम की एक किताब लिखी थी। सनातन धर्म पर हुए इस हमले का जवाब देते हुए, श्रीअरविन्द ने द फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडियन कल्चर शीर्षक के तहत कई निबंध लिखे। ये निबंध मूल रूप से आर्य नाम की मासिक पत्रिका में प्रकाशित(1918-19) हुए थे, जिनमें भारत का पुनर्जागरण, क्या भारत सभ्य है? , भारतीय संस्कृति और बाहरी प्रभाव तथा भारतीय संस्कृति का बचाव जैसे विभिन्न शीर्षक शामिल थे। कहा जाता है कि हर उस भारतीय को ये निबंध ज़रूर पढ़ने चाहिए, जो भारतीय संस्कृति के सही और सच्चे दृष्टिकोण को समझना चाहता है। श्रीअरविंद किसी भी संस्कृति की महानता को परखने के लिए तीन मापदंड निर्धारित करते हैं:-पहला, उस संस्कृति की मूल भावना को समझना; साथ ही उसकी सर्वोच्च उपलब्धियों और बेहतरीन कामयाबियों को जानना। और अंत में, उस संस्कृति में जीवित रहने, टिके रहने, आत्मसात करने, समन्वय बिठाने, एकजुट होने और किसी भी समाज या जाति की स्थायी ज़रूरतों के नए दौर के अनुसार खुद को ढाल लेने की शक्ति का होना।यह बात स्वामी विवेकानंद के उस भाषण (फरवरी 27, 1895) की याद दिलाती है, जिसमें उन्होंने भारत की विभिन्न उपलब्धियों और आध्यात्मिकता, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति, गणित आदि के क्षेत्रों में भारत द्वारा दुनिया को दिए गए अमूल्य योगदान का ज़िक्र किया था।

सनातन धर्म के बारे में एक आम गलतफहमी यह है कि इसके आलोचक कहते हैं कि जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी निश्चित है; इसलिए कोई अवतार नहीं हो सकता। उनके अनुसार, अवतार कोई दिव्य सत्ता नहीं होती। लेकिन, इस तर्क में एक बुनियादी कमी है। श्रीअरविन्द अपने ग्रंथ एसेज़ ऑन गीता में लिखते हैं कि ब्रह्मांड की वह अवधारणा, जिसके अनुसार यह जगत समय और स्थान के दायरे में, विकास की प्रक्रिया से गुज़रते हुए, उस परम सत्ता की ही एक अभिव्यक्ति मात्र है-इस संदर्भ में, भविष्य की दिशा तय करने में अवतार की भूमिका ही सबसे तार्किक निष्कर्ष प्रतीत होती है। अत:, सनातन धर्म जिस तरह से दिव्य सत्ता को-परम सत्ता, वैश्विक चेतना और व्यक्तिगत चेतना-इन तीनों आयामों में देखता है, उस दृष्टिकोण को आलोचक समझ नहीं पाते; और इसकी मुख्य वजह है भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता की उनकी अधूरी समझ।

जहाँ तक अस्पृश्यता (छुआछूत) की कुप्रथा का प्रश्न है, सभी समाज सुधारकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि-ठीक वैसे ही जैसे कानून में कुछ मूल सिद्धांत होते हैं और कुछ नियम होते हैं-उसी तरह, अस्पृश्यता की यह कुप्रथा भी केवल नियमों में पाई जाती है, न कि धर्म के मूल सिद्धांतों में। सभी समाज सुधारकों ने, बिना किसी अपवाद के, अस्पृश्यता की इस कुप्रथा की कड़ी निंदा की है; क्योंकि यह समाज में असमानता को बढ़ावा देती है।

वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बीच के अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है। वर्ण व्यवस्था तो व्यक्ति के कर्म और स्वभाव के आधार पर कार्यों का वर्गीकरण करती है; जबकि जाति व्यवस्था का आधार केवल जन्म होता है-और जाती व्यवस्था सनातन धर्म की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत है। यह रेखांकित करना भी प्रासंगिक है कि हेट स्पीच (द्वेषपूर्ण भाषण) की अवधारणा, भाईचारे और सामाजिक लोकतंत्र के सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध है। डॉ. अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने ऐतिहासिक भाषण में सामाजिक लोकतंत्र के महत्व पर विशेष ज़ोर दिया था।

देश का कानून भारत के संविधान में निहित है। संविधान द्वारा प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है; बल्कि इस पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हर प्रकार की चर्चा, किसी विचार का समर्थन, अथवा आलोचना को हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में, तथा विधि आयोग ने अपनी रिपोर्टों में, हेट स्पीच की परिभाषा के दायरे को स्पष्ट करने पर विशेष बल दिया है। इस परिभाषा के अंतर्गत-अन्य पहलुओं के साथ-साथ-दुराशय तत्कालीन परिस्थितियाँ, और हिंसा के लिए उकसाने जैसे तत्वों पर विचार किया जाता है; और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह होता है कि किसी आपत्तिजनक भाषण के प्रति एक विवेकशील व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया होगी? अत: यह कहा जा सकता है कि ऐसे विवेकशील व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह भारतीय संस्कृति की नींव से परिचित हो-वह संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में विश्वास रखती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति में पूर्णता को प्राप्त करने की समान क्षमता निहित है। आधुनिक काल में, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्रीअरविन्द के कार्यों को समझे और सराहे बिना, भारतीय संस्कृति की कोई भी सराहना अधूरी और विकृत मानी जाएगी; साथ ही, यह सनातन धर्म के साथ भी न्याय नहीं कर पाएगी।

संविधानिक न्यायालय ने स्टालिन को हेट स्पीच (नफ़रत फैलाने वाले भाषण) का दोषी पाया था। अब 13 मई 2026 को, वह तमिलनाडु की विधानसभा से फिर से हेट स्पीच दी हैं। ख़बरों के अनुसार, विपक्ष के नेता के तौर पर उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को समाप्त किया जाना ज़रूरी है। उनका असली चेहरा सामने आ गया है। वह एक कायर व्यक्ति हैं। उनमें अपने शब्दों पर कायम रहने का साहस नहीं है। संविधान के इतिहास में यह एक काला दिन था, जब हेट स्पीच फैलाने वाला व्यक्ति फिर से वही शरारत दोहरा रहा था, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने स्टालिन के इस अत्यंत अस्वीकार्य आचरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ठीक वैसे ही, जैसे अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, विधायकों को प्राप्त विशेषाधिकारों की आड़ ली थी। स्टालिन भी अब अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के ही नक्शेकदम पर चल रहे हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि भविष्य में स्टालिन का हश्र भी वैसा ही होगा।

–सूर्य प्रताप सिंह राजावत,
अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर

नो पार्किंग के नाम पर आमजन का उत्पीड़न कब तक?

रोहित कुमार जैन

जयपुर शहर में नो पार्किंग में खड़े वाहनों को क्रेन के माध्यम से उठाकर ले जाने की व्यवस्था कोई नई नहीं है। यह व्यवस्था पूर्व की सरकारों के समय से ही चली आ रही है। लेकिन समय के साथ इस व्यवस्था को लेकर आमजन की परेशानियाँ और शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब यह केवल यातायात व्यवस्था सुधारने का माध्यम न होकर आम नागरिकों के आर्थिक शोषण और मानसिक उत्पीड़न का कारण बनती दिखाई दे रही है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि नो पार्किंग का सरकारी चालान मात्र 200 है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि स्वयं सरकार भी इसे कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं मानती। इसके बावजूद वाहन मालिकों से क्रेन शुल्क के नाम पर 600 या उससे अधिक राशि वसूली जाती है। यानी वास्तविक चालान राशि से तीन गुना अधिक पैसा निजी क्रेन एजेंसियों को प्राप्त होता है।

आमजन के बीच यह धारणा मजबूत होती जा रही है कि ट्रैफिक पुलिस और निजी क्रेन ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण वाहनों को जल्दबाजी में उठाया जाता है, ताकि अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाया जा सके। कई बार वाहन चालक थोड़ी दूरी पर ही मौजूद होता है, फिर भी बिना किसी चेतावनी के वाहन उठा लिया जाता है। इससे नागरिकों को भारी असुविधा, समय की बर्बादी और अनावश्यक आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है।

नियमों के अनुसार वाहन उठाने से पहले वाहन स्वामी को लाउडस्पीकर अथवा अन्य माध्यम से सूचना देकर उचित समय देना चाहिए, ताकि वह स्वयं वाहन हटा सके। लेकिन व्यवहार में अधिकांश मामलों में इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। सीधे वाहन उठाकर ले जाना ही प्राथमिक कार्रवाई बन चुकी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि मौके पर ही ऑन-द-स्पॉट चालान किए जाएँ तो अधिक प्रभावी तरीके से यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित की जा सकती है। इससे लोगों को अनावश्यक परेशानी भी नहीं होगी और ट्रैफिक व्यवस्था भी बेहतर बनी रहेगी। इसके विपरीत वाहन को क्रेन से उठाकर ले जाने की प्रक्रिया में अधिक समय लगता है तथा इसका सबसे अधिक लाभ निजी एजेंसियों को मिलता है।

यह विषय किसी एक सरकार या राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा है जिसकी अब निष्पक्ष समीक्षा होना आवश्यक है। जनहित में सरकार को चाहिए कि वाहन केवल उन्हीं परिस्थितियों में उठाए जाएँ, जब वे वास्तव में यातायात बाधित कर रहे हों। साथ ही क्रेन शुल्क की समीक्षा कर आमजन को राहत दी जाए तथा निजी एजेंसियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

यातायात व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है, लेकिन उसके नाम पर आम नागरिकों का आर्थिक और मानसिक उत्पीड़न किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं माना जा सकता।

–रोहित कुमार जैन, सीए

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 8 जून, 2026

द्वितीय ज्येष्ठ मास (अधिक), कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2083, शतभिषा नक्षत्र प्रात: 9:10 तक, विष्कुम्भ योग प्रात: 9:28 तक, बालव करण दिन 3:24 तक, चन्द्रमा रात्रि 3:37 से मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-वृष, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-मेष, बुध-मिथुन, गुरू-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज कालाष्टमी, पंचक है। आज शुक्र कर्क में सायं 5:43 पर प्रवेश करेगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:19 तक, शुभ 9:01 से 10:43 तक, चर 2:08 से 3:50 तक, लाभ अमृत 3:50 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:36, सूर्यास्